

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग./2935/I/15

प्रकरण क्रमांक

/ 2015 निगरानी

1. राजाराम पुत्र गिरवर
2. रामखतियार गौड पुत्र रामदयाल गौड
निवासीगण - ग्राम पिपरसाना तहसील
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. ब्रजमोहन पुत्र रामजीत निवासी ग्राम
गडरौली तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
हाल निवासी नयापुरा जामना रोड भिण्ड
म.प्र.
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार वृत्त गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. द्वारा
प्रकरण क्रमांक 42/ 2014- 15 / अ- 12 में पारित आदेश रा.नि.
प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 07.03.2015 के विरुद्ध निगरानी

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत

है:-

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम पिपरसाना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3697 ,
3698, 3700, 3769, 3720 कुल किता 5 कुल रकवा 2.00 हेक्टर का
सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार वृत्त गोहद जिला भिण्ड के समक्ष
प्रस्तुत किया है।


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2935-एक/15

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

का
समक्ष